रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10, 1971/आसाढ़ 19, 1893

No. 116] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10, 1971/ASADHA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 10th July 1971

G.S.R. 1034.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (Ninth Amendment) Rules, 1971.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 2, in clause (ii)(A)—

(i) in sub-clause (*a*), for the word "Dashkrol", the word "Dashkroi" shall be substituted;

(ii) for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(c) in the districts of Madras, North Arcot, South Arcot, Chingleput, Thanjavur, Salem, Dharmapuri, Coimbatore and Nilgiris of the State of Tamil Nadu, the area comprised in Malakipara Tea Factory Range

(being a part of Pariyaram village of Mukundapuram Taluk of Trichur District, Kerala State) and the Union territory of Pondicherry excluding Mahe commune and the village of Yanam, the Collector of Central Excise, Madras.";

(iii) for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely.—

"(v) in the districts of Tiruchirapalli, Madurai excluding the area comprised in Kolukumalai Tea Factory Range (being part of Kottagudi village of Uthamapalayam Taluka of Madurai district), Ramanathapuram, Tirunelveli and Kanyakumari of the State of Tamil Nadu, the Collector of Central Excise, Madurai.".

[No. 136/71-C.E. F. No. 223/18/71-CX. 6.]

S. K. DHAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 10 जुलाई 1971

का० का० नि० 1034.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1971 होगा।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 में नियम 2 के खंड (ii) (क) में, :—

(i) उपखण्ड (क) में "दक्षरोल" शब्द के लिए "दशकोई" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) उपखण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) तमिलनाडु राज्य के मद्रास, उत्तरी अर्काट, दक्षिणी अर्काट, चिंगलपुट, तंजोर, सेलम, धर्मपुरी कोयम्बतूर, और नीलगिरी जिलों में मालकीपारा चायारखाना रेंज में समाविष्ट क्षेत्र (जो केरल राज्य के त्रिचूर जिले के मुकन्दपुरम तालुक के पारियारम गांव का एक भाग है) और पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र मे माहे कम्यून और यनम गांव को छोड़कर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, कलेक्टर, मद्रास"

(iii) उपखण्ड (V) के लिए निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(V) तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली, मदुरे कोलुकमले चाय कारखाना रेंज (जो मदुरे जिला के उथमपालयम् तालुक के कोटागुडी गांव का भाग है, में समाविष्ट क्षेत्र को छोड़कर रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली और कन्या कुमारी के जिलों मे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलेक्टर, मदुरे।

[सं० 136/71-के० उ० शु०-फा० सं० 223/15/71-के० उ० शु० 6]

एम० के० धर,

अवर सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971